प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के **अध्याय 1 और 2** में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय रेल के क्रमश: वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जांच से प्राप्त मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं।

प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में भारतीय रेल की लेखाओं में निरन्तर गलत वर्गीकरण के स्वरूप एवं प्रवृत्ति, उनकी पुनरावृत्ति के कारण, गलत वर्गीकरण एवं लेखाओं की गलतियों को सुधारने के लिए की गई अनुवर्ती कार्रवाई और इन गलतियों को सुधार न करने से वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल हैं।